



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक: 16.06.2025

सेवा मे,

1. **उपायुक्त,**
जिला - रांची,
कचहरी चौक ब्लॉक- बी,
कमरा नंबर-504,
राँची-834001, झारखण्ड,
ई-मेल: dc-ran@nic.in
2. **प्रशासक,**
रांची नगर निगम,
कचहरी रोड,
राँची, झारखण्ड-834001,
ई-मेल: support@ranchimunicipal.com

विषय: भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम - हरमू, टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना - अरगोड़ा, वार्ड सं.-26, जिला - रांची, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री संदीप उराँव,
ग्राम-हरमू टोंगरी टोली,
जतरा मैदान के पास,
थाना-अरगोड़ा, वार्ड सं.-26,
जिला-रांची,
मोबाइल नं.:6203640664

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-1583 /JH /9/2023-ESDW-RU-IV

भू-माफियाओं द्वारा शिकायतकर्ता की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 30.05.2025 को हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 30.05.2025 को 11:00 बजे
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार।

1. मामले में श्री संदीप उराँव से आयोग को शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुश्तैनी भूमि हरमू मौजा में स्थित है, जिसका खाता नंबर 13/4 और प्लॉट नंबर 312 है। यह भूमि जनजातीय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और संदीप 2019 तक यहाँ शांति से खेती कर रहे थे। वर्तमान में, इस भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिसे रोकने के लिए संदीप ने 2020 और 2021 में नगर निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संदीप के पिता की हत्या भी इसी भूमि के विवाद में 2000 में की गई थी। संदीप के रिश्तेदार शिव राम तिकी ने भी इस समस्या को लेकर नगर निगम को आवेदन दिया था, और अदालत में सुनवाई भी हुई थी। संदीप ने नगर निगम से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें केवल अभद्र व्यवहार और निराशा मिली। अब संदीप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, और वह अपनी पुश्तैनी भूमि को बेचने के लिए विवश हैं। उन्होंने प्रशासन से न्याय की अपील की है और अपनी भूमि को वापस पाने में मदद की मांग की है।

2. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में संतोषजनक उत्तर या रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण, दिनांक 04.10.2024 को आयोग द्वारा सिटिंग/सुनवाई आयोजित की गई। तदनुसार, संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया, परंतु इसके प्रत्युत्तर में आयोग को कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई आयोजित की गई थी। इसके उपरांत भी, संबंधित प्राधिकारियों को

आशा लकड़ा

कार्यवृत्त प्रेषित किए जाने के बावजूद आयोग को कोई संतोषजनक कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मामले में सिटिंग/सुनवाई दिनांक 28.02.2025 को की गयी एवं निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गयी थीं :

- i. मामले में रांची नगर निगम से जिन संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई थी, वे सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्हें शीघ्र आयोग को उपलब्ध कराया जाए। इसमें विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम द्वारा विवादित भूमि पर किन दस्तावेजों के आधार पर नक्शा स्वीकृत किया गया और इस प्रक्रिया में कौन-कौन से मानक व प्रक्रियाएँ अपनाई गईं।
 - ii. मामले में अब तक की गई सभी संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाये।
3. स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मामले में पुनः सिटिंग/सुनवाई की तिथि 30.05.2025 निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, जिला रांची अनुपस्थित रहे, तथा प्रशासक, रांची नगर निगम की ओर से अतिरिक्त नगर आयुक्त आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता को सुनवाई के दौरान उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई। इस दौरान, प्रशासक, रांची नगर निगम की ओर से उपस्थित अतिरिक्त नगर आयुक्त ने आयोग के समक्ष मामले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा अनुशंसा की जाती है कि :-

- i. अतिरिक्त नगर आयुक्त द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा विवादित भूमि पर जिन दस्तावेजों के आधार पर नक्शा स्वीकृत किया गया था तथा जिन प्रक्रियाओं को अपनाया गया था, उनकी सत्यता एवं शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आलोक में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अगली सुनवाई की तिथि **10.06.2025** निर्धारित की गई है। मामले में नगर निगम द्वारा दिनांक **10.06.2025** को होने वाली सुनवाई एवं अब तक की गई समस्त कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।
- ii. उपायुक्त, जिला रांची द्वारा मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।

मामले से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों में भेजना सुनिश्चित करें।

आशा लकड़ा
12/06/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **30.05.2025** at **11:00 A.M** - भूमाफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम - हरमू, टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना - अरगोड़ा, वार्ड सं-26, जिला - रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
II	Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi		
1.			
2.			
3.			
III	Officers from O/o Superintendent of Police, Ranchi		
1.			
2.			
3.			
IV	Officers from O/o Administrator, Ranchi Municipal Corporation		
1.	Sanjay Kumar	Adl. Ranchi Municipal Corporation	
2.			